द्वारा फैक्स/ई–मेल

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज –1

सख्या पॉच–2500(संयुक्त वरिष्ठता) 2019 दिनांकःमई 2\ 2019

सेवामें,

1–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश ।
2–समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
3–समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

विषयः उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षियों की भर्ती की तिथि को वर्ष(बैच) मानते हुये दिनांक 30–06–2009 तक के भर्ती कर्मियों की वर्षवार (बैचवार) अनन्तिम वरिष्ठता सूची।

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षियों के भर्ती की तिथि को वर्ष(बैच) मानते हुये दिनॉक 30–06–2009 तक भर्ती आरक्षी पुलिस एवं आरक्षी (एल0आई0यू0 को सम्मिलित करते हुये) एवं आरक्षी पुलिस एवं मुख्य आरक्षी(विशेष श्रेणी) की संयुक्त वर्षवार (बैचवार) **उत्तर प्रदेश नामिनल रोल डाटा बेस प्रणाली** पर उपलब्ध डाटा के अनुसार तैयार कर उसका प्रकाशन उत्तर प्रदेश पुलिस की **वेबसाइट http://uppolice.gov.in** पर किया जा रहा है। **साथ ही सूची की साफ्ट प्रति सर्वसम्बन्धित के** ई–मेल आईडी पर भी भेजी जा रही है।

2– अनन्तिम वरिष्ठता सूची निम्नलिखित रीति से तैयार की गयी हैः–

1– भर्ती की तिथि के वर्ष को "वर्ष (बैच)" माना गया है।
2– पूर्ववर्ती "वर्ष (बैच)" में चयनित आरक्षी पश्चात्वर्ती "वर्ष (बैच)" में चयनित आरक्षी से ज्येष्ठ माने गये हैं।
3– वर्षवार (बैचवार) तैयार की गयी सूची में एक वर्ष(बैच) के अन्दर अंकित आरक्षियों के नामों के कम से किसी प्रकार की ज्येष्ठता अवधारित नहीं की जायेगी।
4– सूची में मुख्य आरक्षी(विशेष श्रेणी)/मुख्य आरक्षी(विशेष श्रेणी) एलआईयू का मौलिक पद आरक्षी होने के कारण इनका नाम इस सूची में सम्मिलित किया गया है।
5– यह सूची उ0प्र0 पुलिस नामिनल रोल डाटा बेस प्रणाली में उपलब्ध सूचना एवं जनपदों/इकाईयों से प्राप्त संशोधन के आधार पर तैयार की गयी है।
6– सूची में कुल 24770 कर्मियों का नाम उपलब्ध सूचना के अनुसार सम्मिलित किया गया है।

3– कृपया आपके ई–मेल आईडी पर भेजी जा रही एवं उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर प्रदर्शित अनन्तिम वरिष्ठता सूची को डाउन लोड कर यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि यदि दिनॉक 30–06–2009 तक भर्ती किसी कर्मी का नाम अनन्तिम वरिष्ठता सूची में अंकित होने से रह गया हो तो इसकी सूचना सूची के प्रारूप में Excel फाइल में भरकर पुलिस मुख्यालय के ई–मेल आईडी anubhagadhikari5phq@gmail.com. पर एवं डाक द्वारा भी **दिनांक 15.6.2019** तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध करा दिया जाये।

4– कृपया निम्नलिखित बिन्दुओं पर व्यक्तिगत रूप से आपका ध्यान अपेक्षित हैः–

1– किसी कर्मी के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध करायी जाय तो सूची का मुख्य कर्मांक आवश्य अंकित किया जाये।

2– यदि सूची में आपके जनपद/इकाई में तैनात दिखाया जा रहा कोई कर्मी वास्तव में वहाँ तैनात नहीं है तो उसकी सूचना उसके नवनियुक्त स्थान सहित पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाये

3– सूची में आपके जनपद में तैनात दिखाया जा रहा कोई कर्मी मृत, बर्खास्त या सेवानिवृत्त हो गया हो तो इसकी सूचना अवश्य दी जाय।

4– यह सुनिश्चित कर लें कि कहीं आपके जनपद/इकाई में तैनात मुख्य आरक्षी(विशेष श्रेणी) को मुख्य आरक्षी के रूप में तो नहीं दर्शाया जा रहा है। यदि ऐसा हो तो ऐसे मुख्य आरक्षी(विशेष श्रेणी) का नाम उपरोक्त सूची में सम्मिलित करने हेतु पुलिस मुख्यालय को उसकी Excel फाइल उपरोक्त अंकित ई–मेल आईडी एवं डाक द्वारा भी उपलब्ध करायी जाये।

5– यदि कोई बर्खास्त कर्मी हाल ही में बहाल हुआ हो और इस सूची में आने की पात्रता रखता हो तो उसका विवरण उपलब्ध कराया जाये।

6– जनपद/इकाई से प्रतिनियुक्ति पर प्रस्थान किये कर्मियों का नाम सूची में सम्मिलित होने से छूटा न हो यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रतिनियुक्ति पर प्रस्थान किये कर्मियों के नामों को सम्मिलित कराने की जिम्मेदारी उनके गहन जनपद की होगी।

7– सूची में अंकित यदि किसी कर्मी के पदोन्नति का प्रकरण मुहर बन्द लिफाफे (Sealed Cover) में रखा गया है तो उसके निस्तारण की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया जाये। यदि अभी भी उसके पदोन्नति प्रकरण को (Sealed Cover) में रखा गया है तो सम्बन्धित अभियोग अथवा विभागीय कार्यवाही अथवा निलम्बन की वर्तमान स्थिति से अवश्य अवगत कराया जाये। साथ ही सम्बन्धित अभिलेखों की प्रमाणित छाया प्रतियाँ भी उपलब्ध करायी जाये।

5– अनन्तिम वरिष्ठता सूची को पुलिस लाइन/थानों/कार्यालय तथा अन्य सम्बन्धित स्थानों पर प्रचार–प्रसार करने हेतु सूचना–पट् पर अवश्य चस्पा करवा दिया जाय एवं बल्क एसएमएस के माध्यम से भी समस्त को अवगत कराया जाय इसके साथ ही साथ वायरलेस सेट के माध्यम से भी प्रतिदिन दो बार समस्त थाना/चौकियों को भी इस सम्बन्ध में निर्देश प्रसारित कराया जाये। साथ ही सूची में अंकित आरक्षियों को इसकी लिखित सूचना देकर इसका अभिलेख अपने कार्यालय में सुरक्षित कर लिया जाये। यदि कोई आरक्षी अवकाश पर हो अथवा किसी अन्य कारण से जनपद/इकाई में उपलब्ध न हो तो इसकी सूचना लिखित रूप में अवकाशकालीन पता/नियुक्ति स्थान को दे दिया जाये।

6– अनन्तिम वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में आरिक्षयों को प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु एक सप्ताह का समय प्रदान किया जाये। यदि किसी आरक्षी द्वारा सूची में अंकित सूचना एवं निर्धारित वर्ष (बैच) के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाती है, तो उसके बारे में जनपद/ इकाई स्तर पर उपलब्ध अभिलेख से परीक्षण कर इसे नामिनल रोल डाटा बेस प्रणाली में ठीक कर दिया जाय। तदोपरान्त इसकी संकलित सूचना पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज को दिनांक 15.5 2019 तक ई–मेल anubhagadhikari5phq@gmail.com पर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाये कि:–

"प्रकाशित अनन्तिम वरिष्ठता सूची में उनके जनपद/इकाई में नियुक्त दिनॉक 30–06–2009 तक भर्ती किसी कर्मी का नाम छूटा नहीं है और न ही किसी कर्मी का

डाटा त्रुटिपूर्ण है। जिन कर्मियों का नाम छूटा था अथवा डाटा त्रुटिपूर्ण था, उनकी सूचना सूची के प्रारूप में पुलिस मुख्यालय को भेज दी गयी है, जिसकी प्रति संलग्न है।"

(डा0 अरविन्द सेन)
पुलिस अधीक्षक,कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना उ0प्र0 लखनऊ को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2— पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे कृपया सूची को उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर तुरन्त प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–सूची (ई–मेल से)

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–पुलिस उपमहानिरीक्षक,एन0आई0ए0, 1/131 विजयखण्डगोमती नगर लखनऊ।
2–निदेशक, अन्य पिछड़ा वर्ग निदेशालय इन्दिरा भवन लखनऊ।
3–आयुक्त व्यापार कर विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
4–पुलिस अधीक्षक,पावर कारपोरेशन उ0प्र0 लखनऊ।
5–पुलिस अधीक्षक,सीबीआई लखनऊ।
6–पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान उ0प्र0 लखनऊ।
7– पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो लखनऊ।
8– पुलिस अधीक्षक, वाणिज्य कर विभाग लखनऊ।
9– संयुक्त सचिव, इलाहाबाद विकास प्राधिकारण, इलाहाबाद।
10– सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकारण, गाजियाबाद।
11– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
12– संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
13– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर–6, गौतमबुद्धनगर।